भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या : *152
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 10 मार्च, 2025
19 फाल्गुन, 1946 (शक)

तमिलनाडु स्थित रंजनकुडी किले का विकास

*152. श्री अरूण नेहरू:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तमिलनाडु के पेरम्बलूर शहर से लगभग 16 किमी उत्तर में स्थित रंजनकुडी किले को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता दी गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके ऐतिहासिक महत्व और बढ़ती पर्यटन क्षमता के बावजूद ऐसा न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा विशेष रूप से इस स्थल में पर्यटकों की बढ़ती रुचि के दृष्टिगत रंजनकुडी किले का संरक्षण, सुरक्षा और विकास सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति और पर्यटन मंत्री
(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

लोकसभा में दिनांक 10.03.2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 152 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

(क) और (ख): पेरम्बलुर जिले में स्थित रंजनकुडी किला राष्ट्रीय महत्व का स्मारक है जिसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा की जाती है।

(ग): इस किले का संरक्षण, परिरक्षण और रख-रखाव आवश्यकता, प्राथमिकता और संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जाता है जो कि एक नियमित प्रक्रिया है। स्मारकों की स्थिति का आकलन करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कार्मिकों/अधिकारियों द्वारा समय-समय पर स्मारकों का निरीक्षण किया जाता है और तदनुसार संरक्षण और रख-रखाव के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार की जाती है जिसमें पेयजल, शौचालय, रास्ते, रैम्प, संकेतक आदि जैसी पर्यटक सुविधाओं का प्रावधान शामिल होता है।

*****